SWAMI KESHWANAND RAJASTHAN AGRICULTURAL UNIVERSITY
National Highway No. 15, Sriganganagar Road, Beechwal - Bikaner – 334006 (Rajasthan)
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय
राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 15, श्रीगंगानगर रोड़, बीछवाल – बीकानेर – 334006 (राजस्थान)
Phone : 0151-2250564 Fax : 0151-2253522 E-mail: compt@raubikaner.org

क्रमांक : प.4(1-टी)(5)/स्वाकेराकृवि/सी/2021-22/ 1124 दिनांक : 17.01.2022

मैसर्स गजेन्द्र इनटरप्राईजेज़,
फतीहपुरा, भुट्टो का बास,
बीकानेर

विषय: विश्वविद्यालय के लिए दो वर्षों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु कार्य आदेश।

संदर्भ: ई-निविदा सूचना क्रमांक 02 दिनांक 29.12.2021,NIB Code: SKA2122A0040 एवं UBN: SKA2122SLOB00040

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित ई-निविदा की वित्तीय बिड़ मे आपके द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दरों को निविदा समिती की अनुशंसा पर, माननीय कुलपति महोदय ने आगामी दो वर्षो के लिए सुरक्षा व्यवस्था कार्य अनुबंध हेतु अनुमोदित की है तथा इस कार्यालय के पत्र क्रमांक प.4(1-टी)(5)/स्वाकेराकृवि/सी/2021-22/1123 दिनांक 14.01.2022 के अनुसरण मे आपके द्वारा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने एवं करारबन्ध निष्पादन करने के फलस्वरूप यह कार्य आदेश आपको आवंटित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि संलग्न सुरक्षा अनुबंध हेतु नियम व शर्ते एवं अन्य सामान्य आवश्यक शर्तो की अक्षरश: पालना सुनिश्चित कर, अनुलग्नक मे वर्णित पॉइंट(Point) व कार्मिको की संख्या, जिनको आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है, के आधार पर निम्नानुसार अनुमोदित दरो पर आगामी दो वर्षो की अनुबन्ध अवधि दिनांक 01.02.2022 से 31.01.2024 तक इस विश्वविद्यालय मे सुरक्षा व्यवस्था का कार्य करवाने बाबत सेवा प्रदाता के रूप मे निर्धारित मानदंडों के अनुसार व्यवस्था करावे। निविदा की शर्तो व नियमो का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्यवाही कर यह कार्य आदेश निरस्त किया जा सकता है।

क्रमांक	कार्य की प्रकृति	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी रुपये प्रति व्यक्ति	ईपीएफ़ EPF %	ईएसआई ESI %	सर्विस चार्ज रुपया Rs.	कुल योग प्रति माह Rs.
1	सुरक्षा प्रहरी	276 प्रति दिन 7176 प्रति माह	12	3.25	1	8271
2	सुरक्षा पर्यवेक्षक	326 प्रति दिन 8476 प्रति माह	12	3.25	1	9770

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

वित्तनियंत्रक

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. कुलसचिव, एसकेआरएयू, बीकानेर
2. अधिष्ठाता/निदेशक/क्षे.निदेशक/प्रभारी अधिकारी/ सीमका SKRAU बीकानेर
3. निजी सचिव कुलपति, SKRAU, बीकानेर
4. कोषाधिकारी, SKRAU, बीकानेर
5. डी.डी.ओ, प्रशासनिक कार्यालय को प्रेषित कर लेख है की अनुबंध के नियमो और शर्तो की पूर्ण पालना सुनिश्चित होने पर ही बिल भुगतान हेतु कोषाधिकारी को भेजे ।
6. सुरक्षा अधिकारी, SKRAU, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि अनुबंध के नियमो व शर्तो की अक्षरश: पालना सेवा प्रदाता द्वारा करने की दशा मे ही बिल भुगतान हेतु DDO को अग्रेषित करे, इस आशय का प्रमाण पत्र बिल पर अंकित करे ।
7. रक्षित पत्रावली
8. प्रभारी सीमका वि.वि. वेब साईड पर देने हेतु ।

वित्तनियंत्रक

2

34

SWAMI KESHWANAND RAJASTHAN AGRICULTURAL UNIVERSITY
National Highway No. 15, Sriganganagar Road, Beechwal - Bikaner – 334006 (Rajasthan)
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय
राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 15, श्रीगंगानगर रोड़, बीछवाल – बीकानेर – 334006 (राजस्थान)
Phone : 0151-2250564 Fax : 0151-2253522 E-mail: compt@raubikaner.org

सुरक्षा अनुबंध हेतु नियम व शर्तें

(बिडदाताओं से अनुरोध है कि बिड प्रस्तुत करने से पूर्व बिड के समस्त नियम, शर्तो व निविदा प्रपत्रों का पूर्ण अध्ययन कर लें)

1. सुरक्षा कार्य हेतु दर अनुबंध, अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से दो वर्ष के लिये मान्य होगा जिसे कार्य सन्तोषजनक की स्थिति में आपसी सहमति से तीन माह या नये अनुबन्ध होने तक, जो भी पहले हो,बढाया जा सकता है।

2. निविदा शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि तथा ई निविदा प्रोसेसिंग शुल्क के अभाव में निविदा पूर्णतः निरस्त कर दी जावेगी।

3.
   a. निविदादाताओं को D.G.P, Civil Defence and Home Guard, गृह रक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर से जारी लाइसेन्सधारक होना आवश्यक है। पूर्व लाइसेंस धारक जिन्हे RPA /IGP (Security), राज्य सरकार से लाइसेन्स प्राप्त सहित समस्त लाइसेन्सधारकों के लाइसेन्स की मान्यता अवधि जनवरी 2023 तक मान्य होनी चाहियें।
   b. उक्त लाइसेन्स की प्रमाणित फोटोप्रति तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत करनी होंगी।

4. निविदादाता को रू. 50.00 लाख के राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी बैंक हैसियत प्रमाण पत्र " (Certified copy of Bank Solvency) भी प्रस्तुत करना होगा जो वित्त नियंत्रक, एसकेआरएयू,बीकानेर के नाम उस बैंक द्वारा जारी किया गया हो जो कि छः माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए ।

5. निविदादाता का पिछले तीन वर्षो का **Turnover** प्रति वर्ष रू **80.00** लाख से कम नहीं होना चाहिये। इसके लिये निविदादाता तकनीकी बिड के साथ अपने पिछले तीन साल के Turnover प्रमाण संलग्न करेगा जो मान्यता प्राप्त Chartered Accountant द्वारा जारी व हस्ताक्षरित हों।

6. निविदादाता का राज्य कर विभाग/जी.एस.टी/पी.एफ. एवं ई.एस.आई. विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक हैं। निविदा के साथ इसके प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होंगी । निर्णायक स्थिति में इन प्रमाणों कि मूल प्रतियों से सत्यापन किया जाएगा ।

वित्त नियन्त्रक

7. निविदादाताओं को किसी राजकीय विश्वविद्यालय / राजकीय विभाग / राजकीय बोर्ड / शिक्षा बोर्ड या समकक्ष शैक्षणिक / प्रशासनिक संस्थाओं में इसी प्रकार की सेवा प्रदान करने का गत पॉच वर्षों में **कम से कम 2 वर्ष का एकल अनुभव** होना चाहिये। जिसमें कम से कम 28 सुरक्षा गार्ड आपूर्ति का एकल अनुभव होना चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत करने होंगे।
8. निविदादाता द्वारा आधार कार्ड व आयकंर विभाग से जारी पैन (PAN) कार्ड की प्रमाणित फोटो प्रति तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।
9. प्रत्येक सुरक्षा पोइन्ट (स्थान) पर सुरक्षा प्रहरियो को पूरे दिन (24 घण्टे) उपस्थित रहना आवश्यक होगा। सुरक्षा पोइन्ट (स्थान) संबंधित विभाग व सुरक्षा अधिकारी द्वारा तय किये जावेगें व सुरक्षा प्रहरी को उन्ही के निर्देशानुसार कार्य करना होगा।
10. सुरक्षा कार्य एक दिवस में 3 पारियों में होगा। प्रत्येक पारी 8 घण्टे की होगी।
11. एक सुरक्षा प्रहरी से एक दिवस में 8 घण्टे से अधिक कार्य नही लिया जावेगा।
12. सुरक्षा प्रहरियों के लिए आवास कि व्यवस्था विश्वविधालय द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी ।
13. छात्रा, छात्रावास, में महिला सुरक्षा प्रहरी लगाना आवश्यक हैं ।
14. सुरक्षा प्रहरियों का समय समय पर भौतिक निरीक्षण वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी द्वारा किया जावेगा ।
15. निविदायें (तकनीकी व वित्तीय दोनों ही बिड) e-proc.(ई–प्रौक्योरमेंट) पोर्टल से डाउनलोड कर इसी पोर्टल पर अपलोड की जानी है।
16. स्कैन (Scan) कर अपलोड की गयी या भौतिक रूप से प्रस्तुत की गयी बिड स्वीकार्य नहीं होगी। बिड e-proc साइट पर उपलब्ध बिड शीट में ही अपलोड करनी होगी।
17. विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.raubikaner.org) एवं SPPP Portal (www.sppp.rajasthan.gov.in) पर निविदा मात्र अवलोकनार्थ अपलोड की गयी है। निविदा दाता द्वारा इन वेबसाइट पर निविदा अपलोड नहीं की जाएगी। निविदा सिर्फ e-proc portal (**www.eproc.rajasthan.gov.in**) में ही अपलोड करनी है।
18. निविदा (तकनीकी बिड़) के साथ निविदा कार्य लागत के 2% के बराबर की राशि बोली प्रतिभूति (Bid Security) के रूप में **Comptroller, SKRAU,Bikaner** के नाम बैंकर चैक या डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करनी होगी। अथवा बिड डिक्लेरेशन Rs. 100 /- का non-judicial stamp प्रस्तुत करना होगा ।

    साथ ही रूपयें 1000 / – का डिमाण्ड ड्रापट, M.D., RISL, Jaipur के नाम बिड प्रोसेसिंग फीस के रूप में प्रस्तुत करना होगा ।

वित्त नियन्त्रक

राजस्थान में पंजीकृत एस.एस.आई फर्मों के लिए प्रतिभूति राशि का आधा प्रतिशत (!/2%)देय हैं। इस लाभ हेतु फर्म को निदेशक उधोग विभाग, राजस्थान, जयपुर से सुरक्षा कार्य हेतु पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत करनी होगी ।

19. तकनीकी एवं वित्तीय बिड के साथ प्रस्तुत निविदा/शर्तो का नियम आदि सहित समस्त प्रमाण व संलग्नक स्वप्रमाणित (Self attested) होने चाहिये जिसमें हस्ताक्षर के साथ–साथ फर्म की मोहर (Stamp)लगी होनी चाहिए।

20. निविदादाता को तकनीकी बिड के साथ निम्नानुसार अपने बैंक का विवरण भी देना होगा :–
   1 बैंक व शाखा का पूर्ण नाम व पता :–
   2 बैंक खाता संख्या :–
   3 बैंक का IFSC कोड नम्बर :–
   4 बैंक खाते का प्रकार (सेविंग/करंट) :–

21. निविदादाता को रू0 **100/– के नॉन ज्यूडिसियल** (स्टाम्प पर) शपथ–पत्र देना होगा कि "फर्म/संस्था किसी भी विभाग राजकीय/सार्वजनिक विभाग/उपकम से काली सूची में नहीं है एवं फर्म/संस्था के विरूद्व कोई राजकीय बकाया नहीं है तथा फर्म/संस्था निविदा की शर्तो का पूर्ण पालन करेगी। फर्म द्वारा नियमों व शर्तो के उल्लघंन पर फर्म नियमानुसार पेनल्टी की भागी होगी ।

22. सुरक्षा गार्ड को कुशल श्रमिक को राज्य सरकार द्वारा देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान विश्वविधालय करेगा। (ई.पी.एफ. तथा ई.एस.आई. का नियोक्ता का अंशदान भारत सरकार के नियमानुसार विश्वविधालय द्वारा देय होगा)।

23. सुरक्षा प्रहरियों हेतु सेवा प्रदाता से अनुबंध होने के पश्चात भी सुरक्षा प्रहरियों की संख्या में आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।

24. उपलब्ध करवायी जा रही सेवाओं हेतु रखे गये सुरक्षा प्रहरियों हेतु राज्य/केन्द्र सरकार या इनके अधीनस्थ विभागों की पी.एफ., ई.एस.आई. या अन्य कोई राशि देय होती है तो उसका भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा ही किया जाएगा। गत भुगतान के दस्तावेज आगामी भुगतान से पूर्व संबंधित सुरक्षा प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करने होगें। सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि अनुबंध की अवधि में श्रम कानून कि पूर्णतः पालना हो ।

25. सेवा प्रदाता के सुरक्षा कार्य हेतु प्रस्तुत प्रथम बिल/बिलों के सम्पूर्ण भुगतान को विश्वविद्यालय द्वारा **"रिस्क कवरेज"** के रूप में जमा किया जावेगा। इस राशि का भुगतान बिना ब्याज सन्तोषजनक सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात किया जावेगा।

वित्त नियन्त्रक

26. सेवा प्रदाता सेवाओं को किसी अन्य को हस्तान्तरित या सबलेट नहीं कर सकेगा अन्यथा उसके अनुबंध को निरस्त कर निविदा सुरक्षा राशि व रिस्क कवरेज जब्त कर ली जावेगी।

27. सुरक्षा प्रहरी को समय समय पर केन्द्र/राज्य सरकार आदि के अन्तर्गत देय न्यूनतम पारिश्रमिक/वेजज, सवैतनिक अवकाश एंव अन्य वैधानिक भुगतान की समस्त जिम्मेदारी भी सेवा प्रदाता की ही होगी व विश्वविद्यालय आवश्यकता पड़ने पर कभी भी आवश्यक दस्तावेजों की मांग कर सकता है। जो उपलब्ध कराने होगें।

28. सेवा प्रदाता द्वारा समय पर सुरक्षा प्रहरी की उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में नियमानुसार आर्थिक क्षतिपूर्ति की वसूली प्रति शिफ्ट राशि का 110 प्रतिशत के आधार पर संबंधित कार्यालय द्वारा मासिक बिल से वसूल की जावेगी।

29. सेवा प्रदाता कार्य आदेश जारी होने पर जिस तिथी से सुरक्षा कार्य करवाया जाना हैं। उस तिथी से सुरक्षा प्रहरी, सुरक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थानों पर लगाने आवश्यक होंगें अन्यथा प्रति दिवस प्रति पोइन्ट 1000 रूपयें जुर्माना किया जायेगा, जो सेवा प्रदाता के बिलों या प्रतिभूति राशि से वसूल किया जाएगा ।

30. विश्वविधालय के सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय बिना परिचय पत्र या बिना निर्धारित गणवेश के कार्यरत सुरक्षा प्रहरी पर रूपयें 100 प्रति सुरक्षाकर्मी, प्रतिदिन दण्डात्मक रूप में सेवा प्रदाता से वसूल किये जावेंगें ।

31. किसी सुरक्षा प्रहरी के कार्य स्थल पर अनुपस्थित रहने या सोते हुए पाये जानें पर प्रति सुरक्षा प्रहरी प्रति पारी (8 घण्टे) न्यूनतम रूपयें 100/– दण्ड के रूप में सेवा प्रदाता से वसूल किये जावेंगें ।

32. जॉब कार्य हेतु अनुमोदित राशि का भुगतान सेवा प्रदाता को ही किया जावेगा। सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त सुरक्षा प्रहरी इस कार्यालय से किसी भी प्रकार के भुगतान दावा मांगने के अधिकारी नहीं होंगे। इन्हे किसी भी प्रकार के दावे या भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा ही देय होंगे।

33. संवेदक द्वारा नियोजित सुरक्षा प्रहरीयों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जाएगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित सुरक्षा प्रहरियों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। सुरक्षा प्रहयिों के बैंक खातो में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था कि संतुष्टी होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जाएगा ।

वित्त नियन्त्रक

38

34. सेवा प्रदाता को अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। संवेदक को राज्य/ केन्द्र सरकार कि नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त सुरक्षा प्रहरियों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा करवाना होगा। जिसमें नियोजित सुरक्षा प्रहरीयों कि मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे सुरक्षा प्रहरियों के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के अंशदान कि राशि नियमानुसार जमा कराये जानें कि पुष्टि में संबन्धित चालान की प्रति संबंधित प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत किये जानें पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जाएगा ।

35. निविदादाता द्वारा विश्वविधालय में अपना एक सुपरवाईजर लगाना होगा, जो कि नियमित रूप से सुरक्षा प्रहरी की उपस्थिति का रिकार्ड रखेगा तथा प्रतिदिन कार्य निरीक्षण करने के उपरांत समय समय पर संबंधित सुरक्षा प्रभारी अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सुपरवाईजर का नाम,मोबाईल न., पता, आदि उपलब्ध करवाना होगा ।

36. सुरक्षा कार्य हेतु सुरक्षा प्रहरी को मौसमानुसार (गर्मी व सर्दी के अनुरूप) निर्धारित गणवेश, कैप, टार्च, लाठी, व अन्य सभी प्रकार का सामान सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए सेवा प्रदाता को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा ।

37. किसी भी सुरक्षा प्रहरी के कार्य छोड़ने की स्थिति में भी सेवा प्रदाता को तुरन्त दूसरा सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध करवाना होगा।

38. सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से लगाये गये सुरक्षा कर्मी को आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय परिसर के किसी भी सुरक्षा पाइन्ट पर लगाया जा सकता है।

39. सुरक्षा कार्य हेतु सेवा प्रदाता एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि सुरक्षा कार्य हेतु नियुक्त प्रहरी की आयु 21 से 60 वर्ष तक हो ।

40. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करवाये गये सुरक्षा प्रहरियों का स्वस्थ होना आवश्यक है। सुरक्षा मापदण्डों के सन्दर्भ में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र संबंधित सुरक्षा प्रभारी को प्रस्तुत कराना होगा। उक्त प्रमाण पत्र वाले व्यक्ति की सेवाएं, सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा सुरक्षा प्रहरी के रूप में उपलब्ध करवायी जाएगी।

41. उपलब्ध करवाये गये सुरक्षा प्रहरी के किसी गैर जिम्मेदाराना या गैर कानूनी कार्य (जैसे चोरी, अश्लीलता, नशा, जुआ आदि) में लिप्त पाये जाने पर उस सुरक्षा कर्मी की पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता ऐजेन्सी की होगी। ऐसे सुरक्षा प्रहरी के विरूद्ध की गयी किसी प्रकार की कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही पर देय क्षतिपूर्ति का भुगतान भी सेवा प्रदाय एजेन्सी द्वारा ही देय होगा।

वित्त नियंत्रक

42. सेवा प्रदाता एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि सुरक्षा प्रहरी हेतु उपलब्ध करवाये जा रहे व्यक्ति का चाल–चलन व चरित्र अच्छा हो।

43. अनुमोदित सेवा प्रदाता को उनके द्वारा उपलब्ध करवाये जा रहे सुरक्षा प्रहरियों की सूची उपलब्ध करवानी होगी जिसमें निम्न प्ररूपानुसार पूर्ण जानकारी देनी होगी :–

क्र. सं	सुरक्षा प्रहरी का नाम	पूर्ण पता	मोबाइल/दूरभाष नं.	आधार कार्ड नं.	बैंक का नाम व ब्रान्च	खाता संख्या	नवीनतम फोटो
	2	3	4	5	6	7	

44. सभी सुरक्षा प्रहरियों का बैंक में खाता होना अनिवार्य है। किसी सुरक्षा प्रहरी के अनुपस्थित रहने या उसका कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा प्रदाता द्वारा उसके स्थान पर यथाशीघ्र दूसरे सुरक्षा प्रहरी को लगाना होगा।

45. सेवा प्रदाता एजेन्सी को प्रत्येक सुरक्षा कर्मी को **"परिचय पत्र"** आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाना होगा जिसमें सुरक्षा कर्मी की नवीनतम फोटो, नाम, पूर्ण पता, मोबाईल नम्बर व आधार नम्बर परिचय पत्र जारी करने की तारीख मय मोहर अंकित करवाकर, जिसको विश्वविधालय/महाविधालय के सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाना आवश्यक होगा।

46. कार्यादेशों के अनुबंध की शर्तो को भंग करने या संविदा के संतोषजनक ढ़ग से पूरा न करने पर निविदा कर्ता अधिकारी द्वारा पूर्ण या अंशतः प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया निंणय अन्तिम होगा।

47. जहॉ भी आवश्यकता होगी विशेषकर महिला/छात्रा, छात्रावास में महिला सुरक्षा प्रहरी कि व्यवस्था करनी होगी ।

48. निविदा सूचना में वर्णित विवरण व RTPP ACT & Rule अनुसार पात्रता पूरी करने वाले योग्य बोलीदाता ही तकनीकी बिड (प्रि–क्वालीफिकेशन) में सफल माने जाएँगे तथा उन्ही की वित्तीय बिड खोली जाएगी। तकनीकी बिड (प्रि–क्वालीफिकेशन) में योग्य नही पाये जाने वाले बोलीदाताओं की वित्तीय बिड नहीं खोली जावेगी।

वित्त नियन्त्रक

49. सफल बोली दाता को नियमानुसार उनके द्वारा प्रस्तुत दरों के आधार पर सम्पूर्ण कार्य के दो वर्ष की राशि का (जो एक साल के लिए 5:% होती हैं लेकिन यह निविदा 2 साल की हैं अतः 2 साल की अनुमानित राशि एक साल की राशि का 5%) 2.5% प्रतिभूति राशि (Bid Performance Security) के रूप में रूपये 500 के नानज्युडिशियल स्टाप (NJS) पर अनुंबध के साथ प्रस्तुत करनी होगी। उक्त प्रतिभूति राशि बैंक ड्रापट द्वारा जमा करानी होगी। ईएमडी राशि का समायोजन कर लिया जाएगा ।

50. सफल बोली दाता द्वारा प्रतिभूति राशि व अनुबंध पत्र दर स्वीकृति आदेश की दिनांक से निंधारित समयावधि (15 दिवस) में प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा उनकी निविदा सुरक्षा राशि जब्त की जा सकेगी।

51. सफल बोलीदाता से अनुबंध करने से पूर्व उनके मूल लाइसेन्स का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन (Verification) किया जाएगा।

52. सफल बोली दाता को विश्वविद्यालय के बीकानेर परिसर में सुरक्षा प्रहरियों की सेवाएँ सुचारू रूप से प्रदान करवाने हेतु अपना स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त करना होगा। प्रतिनिधि का विवरण (जैसे नाम, पता,फोन न., आई कार्ड आदि) का भी विवरण देना होगा। इसके लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान देय नहीं होगा ।

53. सफल सेवाप्रदाता को अनुबंध के साथ विश्वविद्यालय में एक अंडरटेकिंग (100 रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर) अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी कि सुरक्षा प्रहरी को नियमानुसार राशि सीधे सुरक्षा प्रहरी के बैंक खातें में जमा करवाकर कार्य बिल प्रतिमाह प्रथम कार्य दिवस पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

54. प्रस्तुत किए गए बिलों से वैधानिक कटौतियॉ टी.डी.एस., जी.एस.टी. व अन्य टैक्स की वसूली नियमानुसार की जाएगी।

55. उपलब्ध करवाये गये सुरक्षा प्रहरियों के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटो प्रतिलिपि सुरक्षा अधिकारी को उपलब्ध करवाना आवश्यक है।

56. सुरक्षा प्रहरी कार्य पर लगाये गये व्यक्तियों का सेवा प्रदाता एजेन्सी को उनका प्रमुख नियोक्ता (Principal employer) माना जावेगा। किसी भी प्रकार के सामान्य या न्यायिक विवाद के लिये सेवा प्रदाता एजेन्सी ही जिम्मेदार होगी।

57. अनुबंधित सेवा प्रदाता द्वारा सन्तोषजनक सेवाएँ प्रदान न करवाने या सेवा प्रदान करवाने में असफल रहने की स्थिति में उनकी सेवायें निरस्त करते हुये सुरक्षा राशि व रिस्क कवरेज राशि विश्वविद्यालय द्वारा जब्त करते हुये निविदादाता की रिस्क व कास्ट पर द्वितीय न्यूनतम दरदाता फर्म या अन्य एजेन्सी से सुरक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी सेवा प्रदाय एजेन्सी की होगी।

वित्त नियन्त्रक

58. सेवा प्रदाता को प्रदाय की गई सेवा का भुगतान संबंधित सुरक्षा क्षेत्र के इंचार्ज/विभागाध्यक्ष/मुख्य छा.ावास अधीक्षक/ मुख्य अन्वेषक/निदेशक इत्यादि के भौतिक सत्यापन एवं बिल प्रमाणिकरण उपरांत देय होगा। जिसमें संबंधित उपरोक्त अधिकारी की सिफारिश पर या नियमानुसार कोई कटौती बनती हैं तो यह कटौती कर भुगतान किया जाएगा ।
59. विश्वविधालय द्वारा अनुबंध बिना किसी कारण बतायें भी निरस्त किया जा सकता हैं । किन्तु ऐसी स्थिति में प्रतिभूति राशि लौटा दी जाएगी ।
60. सेवा प्रदाता द्वारा दी जा रही सेवाओं का बिल प्रत्येक माह कि एक तारीख को संबंधित कार्यालय में जमा करवाना होगा, जिसका भुगतान कार्यालय द्वारा सेवा प्रदाता के बैंक खाते में होगा ।
61. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत शर्त/ सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी ।
62. समस्त कानूनी कार्यवाही किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने कि स्थिति में बीकानेर स्थित न्यायालय में ही प्रारम्भ करनी होगी, अन्य न्यायालय में नहीं ।
63. सेवा अनुबंध अवधि में किसी प्रकार के विधि वाद की समस्त जिम्मेदारी सेवा प्रदाता कि होगी ।
64. अपील अधिकारी
    1. प्रथम अपील अधिकारी – कुलपति, स्वाकेराकृविवि, बीकानेर
    2. द्वितीय अपील अधिकारी – शासन सचिव कृषि विभाग, जयपुर
65. निविदादाता यह सुनिश्चित करेगा कि तकनीकी बिड के साथ संमस्त चाहे गये प्रमाण पत्र व शुल्कों के प्रमाण अपलोड कर दिये गये हैं ।
66. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी,/स्पष्टीकरण निविदा प्रकाशन के सात दिवस में किसी भी कार्य दिवस या कार्यालय समय पर (निविदा शाखा एसकेआरएयू) से प्राप्त की जा सकती हैं ।
67. (A) निविदा दाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा अपलोड करने से पूर्व निविदा संबंधी समस्त नियमों/शर्तो व निविदा प्रपत्रों को पूर्ण अध्ययन कर लें ।

    (B) निविदा प्रपत्र अपलोड करने से पूर्व निविदादाता समस्त निविदा प्रपत्रों पर अपने हस्ताक्षर व फर्म की मोहर अंकित करेगा ।

68. उपरोक्त उल्लेखित शर्तो के अलावा सेवा प्रदाता पर RTPP Rules 2013 व RTPP Act 2012 के अनुरूप सभी नियम, धाराएं/उपधाराएं लागू होगी ।
69. माननीय कुलपति/निम्न हस्ताक्षरकर्ता को निविदा या निविदा के किसी भी भाग को स्वीकार या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
70. वितीय प्रस्ताव में एक से अधिक निविदा दाताओं की समान दरें प्राप्त होती हैं तो उस स्थिति में विश्वविधालय गुणावगुण के आधार पर एक योग्य निविदादाता का चयन करेगी एवं कार्य आबंटन किया जाएगा जिसे सभी निविदा दाताओं को स्वीकार्य होगा ।
71. निविदादाता का राजस्थान राज्य का मूल निवासी एवं राजस्थान राज्य में उसका स्थाई कार्यालय होना चाहिए ।

वित्त नियन्त्रक